भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2720

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप और एमएसएमई के समक्ष नकदी संकट

2720. श्री तारिक अनवरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के समक्ष उत्पन्न नकदी संकट की स्थिति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और की गई-कार्रवाई क्या है;

(ग) स्टार्टअप ईकोसिस्टम में वित्तपोषण संकट और "पूंजी प्रवाह में कमी" (फंडिंग विंटर) से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार की इन उद्यमों के लिए ऋण सुविधा को सुकर बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत में, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), जो निजी रूप से पूल किए गए निवेश माध्यम हैं, का उपयोग विभिन्न निवेशकों द्वारा उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी को स्टार्टअप में निवेश करने के लिए किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, भारत में एआईएफ बाजार काफी बड़ा हो गया है। भारत के संपन्न स्टार्टअप ईकोसिस्टम, सहायक विनियामक फ्रेमवर्क, घरेलू निवेशकों के लगातार बढ़ते पूल और संभावित उच्च रिटर्न के साथ अद्वितीय निवेश अवसरों सहित कई कारकों ने एआईएफ के विकास को बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से, एआईएफ द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धताओं में तीन गुना तक वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2019-20 के अंत के 3.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 के अंत तक 11.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

सरकार ने उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो इस पूंजी को स्टार्टअप में निवेश करते हैं। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में एफएफएस के तहत प्रतिबद्धता जताई गई राशि का कम से कम दो गुना निवेश किया जाना अपेक्षित है। 10,000 करोड़ रुपए का पूरा कॉर्पस एआईएफ को देने की प्रतिबद्धता जताई गई है जिसने 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत 1,334 स्टार्टअप्स में 24,919.5 करोड़ रुपए का निवेश उत्प्रेरित किया है।

सरकार ने, भारत सरकार के 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर पूंजीगत कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए की राशि से ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जिनमें विस्तार करने की क्षमता और व्यवहार्यता हो, को 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की भी स्थापना की है। वर्ष 2021 में अपनी स्थापना के बाद से 31 अक्तूबर, 2025 तक, 671 एमएसएमई को 14,927 करोड़ रुपए इक्विटी प्रदान करके सहायता दी गई है।

सरकार ने स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने और वित्त तक पहुंच में सुधार करने, ऋण सुविधा को सुगम बनाने तथा इन उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अन्य पहलें और उपाय किए हैं। इन उपायों का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2720 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

1. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, प्रमुख स्कीमें नामत:, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं।
2. एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को उनके प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफ को 01 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। 31 अक्टूबर, 2025 तक एसआईएसएफएस के तहत 945 करोड़ रुपए का पूरा कॉर्पस 219 इन्क्यूबेटरों को स्वीकृत कर दिया गया है।
3. सीजीएसएस को, पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक मुक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इसे 01 अप्रैल, 2023 से संचालित किया गया है। सीजीएसएस के अंतर्गत, 31 अक्टूबर 2025 तक स्टार्टअप उधारकर्ताओं के लिए 755.25 करोड़ रुपए की राशि के 311 ऋणों की गारंटी दी गई है।
4. एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) लागू करता है ताकि बंधक सुरक्षा जमा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना नए और मौजूदा एमएसई को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके (दिनांक 01.04.2025 से इसे संशोधित करके 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए लागू कर दिया गया है)।
5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में, विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख रुपए और तथा सेवा संबंधी उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत से गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
6. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी ताकि 18 पारंपरिक व्यवसायों के ऐसे कारीगरों और शिल्पकारों को व्यवसाय शुरू से आखिर तक की समग्र सहायता प्रदान की जा सके, जो अपने हाथों और उपकरणों स काम करते हैं। इस स्कीम में अधिकतम 3 लाख रुपए तक के ऋण और अधिकतम 8% तक की ब्याज सहायता का प्रावधान है।

7. सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित आवधिक क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनकी सहायता करती है जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने के लिए एक जीवंत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने की पहलें स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती है। इन उपायों को बल प्रदान करने के लिए विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं।

8. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारतीय युवाओं के बीच अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (एआईसी), इन्क्यूबेशन सुविधाएं और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) और सामुदायिक इनोवेटर फैलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम, भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (एलआईपीआई - स्थानीय नवाचार केंद्र), डीपटेक रिएक्टर, एआईएम-डब्ल्यूआईपीओ संयुक्त कार्यक्रम और एआईएम 2.0 अधिदेश के तहत मानव पूंजी विकास जैसे अन्य कार्यक्रम सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए संचालित किए जा रहे हैं।

9. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता नवप्रयोग स्कीम (आईडेक्स) और आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति) जैसे कार्यक्रम रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, डीएसटी युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'नवप्रयोगों के विकास और उनका लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय पहल (निधि)' को कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फेलोशिप), निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) कार्यक्रम शामिल हैं।

11. अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउण्डेशन (एएनआरएफ) ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-आधारित, समाधान-केंद्रित अनुसंधान के लिए 'मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इंपैक्ट एरिया' (एमएएचए) कार्यक्रम शुरू किया है।

12. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाईरैक) के तहत अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ बायोनेस्ट (बायोइन्क्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज) और ई-युवा (युवाओं को अभिनव अनुसंधान

क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और इन्क्यूबेशन-पूर्व केंद्र स्थापित किए हैं।

13. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें की जा रही हैं।

14. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम**,** उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई स्कीम) और उचित दर वाली दुकान के स्वामियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

*****